| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **<u>एकल–पीठ</u>**<br>**श्री सूरज भान जैमन, सदस्य**<br><br>उपस्थितः–<br>श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।<br>श्री एस.के. पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी।<br>**<u>आदेश</u>**<br>**<u>दिनांकः 03–05–2019</u>**<br><br>यह निगरानी अन्तर्गत धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, (इ.गा.न.यो.) बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 06/99 में पारित निर्णय 25–7–2000 के विरूद्ध पेश की गई है।<br><br>2– आलोच्य निर्णय से अधीनस्थ न्यायलय ने प्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 बूडे खां द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज किया है कि उनके द्वारा पूर्व में पारित निर्णय 09–8–1996 मैरिट पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर पारित किया गया है जिसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया जिसमें जानकारी का आधार जो बताया गया है, वह काल्पनिक है।<br><br>3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09–8–96 द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 की अपील उसको व्यथित पक्षकार नहीं मानते हुए अस्वीकार की थी। अपील अस्वीकार करने के पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी को श्री बूडे खां के पक्ष में हुए आवंटन आदेश दिनांक 22–12–88 की वैधता बाबत प्रकरण जांच हेतु निर्देश देने का उनको अधिकार नहीं था। अतः क्षेत्राधिकार से बाहर दिया गया आदेश खारिज किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बूडे खां ने नजसानी प्रार्थना पत्र के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना भी पेश किया, | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जिसमें अंकित कारण संतोषप्रद थे, जिसका अप्रार्थीगण ने कोई जवाब पेश नहीं किया। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालयों को प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर विश्वास करते हुए नजरसानी प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार करना चाहिए था अथवा मियाद के बिन्दु पर ही नजरसानी प्रार्थनापत्र को खारिज करना चाहिए था परन्तु उन्होंने गुणावगुण पर नजसानी को निर्णित करने में विधिक त्रुटि की है, उनके द्वारा कोई स्पष्ट फाईण्डिंग भी नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज करने की नहीं दी है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25–7–2000 व 09–8–96 खारिज फरमाया जावे।<br><br>4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नजरसानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में दर्शाये गये कारणों को काल्पनिक मानने में कोई विधिक भूल नहीं की है। दोनों पक्षों की बहस सुनकर ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25–7–2000 पारित किया है। तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध नजरसानी पेश करने का कोई आधार ही नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दोनों ही निर्णय क्रमशः 25–7–2000 व 09–8–96 विधिसम्मत है जिसमें निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की कोई गुंजाईश नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम पाते हैं कि यद्यपि निर्णय दिनांक 09–8–96 के अवलोकन से जाहिर है कि मनीराम द्वारा की गयी अपील का उसे Locus standi होना विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं माना है और यह एक मात्र कारण ही ऐसा पर्याप्त व उचित है जो मनीराम की अपील को स्वीकार करने में एरर आपरेन्ट ऑन दी फेस ऑफ रिकार्ड है। परन्तु विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, (इ.गा.न.यो.) बीकानेर में दिनांक 8–8–96 को बूडे खां के वकील ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बहस व पैरवी की थी तथा दिनांक 09–8–96 को निर्णय की पेशी दी गयी। इसलिए दिनांक 8–9–96 एवं 09–8–96 से लेकर नजरसानी प्रार्थना पत्र दिनांक 08–02–99 को प्रस्तुत किया जाना देरीना है | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जिसके क्षम्य के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में दिनांक 09–8–96 के आदेश की जानकारी दिनांक 29–01–1999 को होना कथित करने का कोई उचित आधार नहीं है। देरी के उपशमन के लिए पर्याप्त व समुचित एवं विश्वसनीय आधार होना जरूरी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के बिन्दु पर नजरसानी को खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं है जिसमें हम निगरानी के जरिये हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं समझते है। अतः प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।<br><br>6– अतः निगरानी खारिज की जाती है तथा न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, (इ.गा. न.यो.) बीकानेर द्वारा पारित निर्णय 25–7–2000 बहाल रखा जाता है।<br><br>7– पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड भिजवाया जावे।<br><br>**(सूरज भान जैमन)**<br>**सदस्य** | |